A2

10

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-/ 1.2. 2014

संख्या-14/पद-213/13 सा0प्र0........1853........./राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए राज्य के सभी जिले में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता को सम्बन्धित जिला के लिए पदेन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पद-213/2013 सा0प्र0 ....1853......../पटना-15, दिनांक- 10.2.2014

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।